न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर
विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 56/2022(GCMS 2022/323)

रणजीत सिंह पुत्र श्री पाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **भारत संघ** जरिये सचिव, सडक परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली
2. **परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,** कार्य–वयन ईकाई, हनुमानगढ जंक्शन
3. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)** एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

16.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी(5) का अविलम्ब लेकर मध्यस्थ महोदय के श्रवणधिकार व श्रेत्राधिकार को अस्वीकार इस आधार पर किया गया है कि मध्यस्थ के समक्ष केवल उसी स्थिति में प्रकरण प्रस्तुत हो सकता है,यदि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा कोई मुआवजा राशि अवधारित की गई हो। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा दी गई विधिक स्थिति सहीं नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3जी(5) में अधिग्रहण की जा रही भूमि की मार्केट वैल्यू का मुआवजा निर्धारण जहां सक्षम प्राधिकारी भी कर सकते हैं, वहीं मध्यस्थ को भी समान अधिकार विधि के द्वारा प्रदान किए हुए हैं और भूमि की मार्केट वैल्यू का मुआवजा भूमि, उस पर लगे पेड़, बाग, रिहायशी मकान आदि, सब सम्मिलित होते हैं, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का यह कथन कि केवल मुआवजा राशि अवधारित होने की स्थिति में ही मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत हो सकते है, विधि के विपरीत है। इस तरह की और उपरोक्त विधि के प्रावधान स्वयं से ही स्पष्ट है कि श्रीमान् मध्यस्थ महोदय को प्रकरण के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार विधिक तौर पर प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि भूमि पर लगे बाग के सम्बन्ध में है, तीन स्तर की व्याख्या की गई है, प्रथम कि सहायक निदेशक उद्यान से अनुचित एवं अवैध तरीके से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई, द्वितीय यह शिकायत प्राप्त होने पर कि कुछ लोगों ने मुआवजा अधिक लेने के उद्देश्य से अपनी भूमि में बाग वहीं लगाए हैं, जहां से भारतमाला के अन्तर्गत सड़क प्रस्तावित है और यह बाग राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त लगाए गए हैं और तृतीय राज्य स्तरीय गठित कमेटी ने भी माना है कि कुछ कृषकों ने किन्नू व खजूर के पौधे रोपित किए हैं जो तकनीकी व व्यवसायिक रूप से भी उपयुक्त नहीं हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रथम सहायक निदेशक उद्यान की मूल्यांकन रिपोर्ट किस प्रकार से गलत थी, के सम्बन्ध में लिखित बहस में लेशमात्र कथन नहीं किया गया है और द्वितीय जब राज्य स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई जिसमें कृषि व उद्यान विभाग के वरिष्ठतम विशेषज्ञ अधिकारियों के द्वारा श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जांच कर अपनी रिपोर्ट दे दी गई और यह रिपोर्ट पूर्व में प्रस्तुत की गई समस्त रिपोर्ट को Superceed करती है और इस रिपोर्ट को नहीं मानने का कोई कारण नहीं हो सकता और स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के द्वारा भी इस रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगाया है और न ही लगाया जाना सम्भव था एवं इस रिपोर्ट में यह सही है कि कुछ कृषकों के द्वारा किन्नू और खजूर के पौधे रोपित किए गए थे एवं उनके सम्बन्ध में कोई मुआवजा राशि का अवधारण नहीं किया गया है, जबकि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के द्वारा ऐसे कृषकों को करोड़ों रुपये का मुआवजा दिया गया [illegible] प्रार्थीगण के द्वारा एक प्रकरण सतेन्द्र कुमार पुत्र परमानन्द [illegible] कृष्णपुर का भी उल्लेख बहस के समय श्रीमान् जी के समक्ष किया गया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी के द्वारा करोड़ों रुपये का मुआवजा अवधारित किया गया, जबकि राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा मुआवजा शून्य बतलाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा की गई विस्तृत जांच और जांच के उपरान्त मुआवजे को अवधारित करते हुए दी गई रिपोर्ट प्रमाणिक सबूत है और ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी–अपनी भूमि में लगे बागों का मुआवजा अवधारित करवाने के अधिकारी हैं, इसलिए प्रार्थीगण का प्रकरण स्वीकार किया जाकर मुआवजा अवधारित किया जावे।

इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किन्नू के 270 व खजूर के 25 पौधों के संबंध में कथन करते हुए व अनुतोष चाहते हुए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि श्रीमान मध्यस्थ महोदय के समक्ष चलने योग्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी(5) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि किसी पक्षकार को स्वीकार नही होने की दशा में ही श्रीमान मध्यस्थ महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, तदनुसार तो मुआवजा राशि का अवधारित होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत पौधों की सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा कोई मुआवजा राशि अवधारित नही की गई है, इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर धारा 3जी (5) के प्रावधान लागू ही नही होते है, तो आगे धारा 3जी(6) के अन्तर्गत माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान भी लागू नही होते है, जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वर्तमान में विधिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं आने से नियुक्त मध्यस्थ महोदय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है और प्रार्थी, श्रीमानजी से कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण के लिये [illegible] हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये [illegible] अधिकारी श्रीकरणपुर की नियुक्ति उपरान्त ग्राम 46 एफ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

35 के किला नम्बर 6, 7 व 8 में से भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसका समाचार पत्रो में प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई, प्राप्त आपत्तियो का निस्तारण किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस प अवस्थित सरंचनाओं/परिसंपत्तियों यथा पेड़ पौधों आदि के मुआवजे का निर्धारण धार 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य, स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है अर्थात धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात नियम विरुद्ध जाकर अनैतिक उद्धेश्य की पूर्ति हेतु अवाप्त भूमि पर कोई सरंचना/परिसंपत्ति यथा पेड़ पौधों आदि स्थापित किये जाते है, तो उनके मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण नही किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (इ) में दी गई भूमि की परिभाषा के अनुसार भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजे अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकडी हुई चीजे आती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि MoRTH भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुपालना में जारी A Manual of Guidelines on Land Acquisition for National Highways under The National Highways Act, 1956 में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि एवं उक्त भूमि पर अवस्थित किसी पेड, सरंचना/परिसंपत्ति इत्यादि का मुआवजा निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना तारीख की स्थिति के अनुसार किया जायेगा तथा धारा की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नही होगा। नये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार भी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि पर किसी प्रकार का विल्लंगम सर्जित नही किया जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा किन्नू व खजूर के पौधों के संबंध में मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.09.2021 के अनुसार सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अनुचित एवं अवैध तरीके से तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट का सहारा लेते हुए अनुचित मुआवजा प्राप्त करने बाबत् अपने प्रार्थना पत्र में बार–बार निरर्थक कथन करते हुए वास्तविक तथ्यों को छुपाकर श्रीमान मध्यस्थ महोदय को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के जारी होने के पश्चात व सहायक निदेशक उद्यान मय गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण हेतु मौके पर दिनांक 17.09.2021 को पंहुचने से पूर्व ही प्रार्थी ने अनुचित मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में अवाप्त भूमि पर बाहर से अत्यधिक नये बड़े प्रश्नगत पौधें लाकर पास–पास में रोपित कर दिये गये, जिसकी सहायक निदेशक उद्यान ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थितिनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नही कर, मौका निरीक्षण की दिनांक 17.09.2021 की मौका स्थितिनुसार किन्नू के 270 व खजूर के 25 पौधों की आयु 4 वर्ष मानकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिसके बाद श्रीकरणपुर क्षेत्र में कुछ कृषकों द्वारा उनके खेतों में बड़े पौधे लगाकर मुआवजा प्राप्त करने की मौखिक सूचना कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर को प्राप्त हुई, जिस पर ऐसा प्रकरण संज्ञान में आने पर इन्ही सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने पत्रांक 5866 दिनांक 23.03.2022 से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) श्रीकरणपुर को अवगत कराते हुए कमेटी गठित कर, पुनः निरीक्षण करने की अभिशंषा की गई व संदेहास्पद बागों की मूल्यांकन रिपोर्ट पुनः करने की अनुशंषा भी की गई, तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी के आदेश की अनुपालना में गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा मौके पर पहुंचकर दिनांक 10.06.2022 को जांचोपरान्त फर्द मौका तैयार की गई, जिस पर तहसीलदार (भू–अ.) श्रीकरणपुर द्वारा रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 17.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भू. अवाप्ति) श्रीकरणपुर को प्रेषित कर दी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि कमेटी रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत पेड़–पौधों केवल वही लगाये गये है, जहां से भारतमाला की सड़क प्रस्तावित है तथा धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के जारी हो जाने के पश्चात अधिक मुआवजा प्राप्त करने के उदेश्य से रोपित किये गये है, जिनका सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा कोई मुआवजा नही दिया जाना उचित मानते हुए दिनांक 24.06.2022 को परिसम्पत्तियों का अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि प्रार्थी की सीमा तक विधिनुसार है। प्रार्थी भी धारा 3ए के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 से पूर्व अवाप्त भूमि पर प्रश्नगत पौधे रोपित होने के तथ्य को ठोस विधिक प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है। इस प्रकार प्रार्थी धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् रोपित अवैधानिक प्रश्नगत पौधों का कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र सारहीन, आधारहीन एवं मिथ्या आधारों पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की मौका स्थिति के विपरित जाकर अनुचित व अवैध तरीके से सहायक निदेशक उद्यान द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दिये जाने के बाद स्वयं सहायक निदेशक उद्यान ने अपने पत्रांक 5866 दिनांक 21.03.2022 द्वारा सक्षम प्राधिकारी से कमेटी गठित कर पुनः निरीक्षण व मूल्यांकन करने की अभिशंषा की गई, जिस पर गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा परिसम्पतियों का अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को पारित किया गया है। इसलिए मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.09.2021 के अनुसार सहायक निदेशक उद्यान द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट वर्तमान [illegible] सारहीन हो चुकी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि [illegible] कमेटी ने अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.20[illegible] के पश्चात रोपित किये गये नये बड़े प्रश्नगत पेड–पौधों का केवल मई 2022 की मौका स्थिति अनुसार निरीक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है, उक्त कमेटी ने प्रश्नगत पेड़–पौधे अवाप्तधीन भूमि पर कब रोपित किये गये, के संबंध में नहीं की गई है। इसलिये राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट प्रश्नगत पेड़–पौधें के संबंध में प्रार्थी की कोई मदद नही करती है। सहायक निदेशक उद्यान की अभिशंषा पर गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत पौधें धारा 3ए की अधिसूचना के पश्चात अवाप्त भूमि पर रोपित पाये जाने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत पौधों का कोई मुआवजा निर्धारित नही किया गया है, जो कि सही एवं नियमानुसार है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान ने श्रीमान मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक 6419 दिनांक 07.02.2023 में 6 खातेदारों का मुआवजा निरस्त कर दिया जाना अंकित किया है, जिसमें प्रार्थी भी सम्मिलित है, जिसकी पुष्टि उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न कृषकवार पौधों की मुआवजा सूची से होती है, जिसमें प्रार्थी का नाम, मुरब्बा, प्रश्नगत पौधे नही है, क्योंकि सहायक निदेशक उद्यान की अनुशंषा पर गठित कमेटी की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत पौधे धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात केवल अवाप्ताधीन भूमि पर ही विधिविरूद्ध रोषित पाये जाने से प्रार्थी को कोई मुआवजा नही दिया गया है, इसलिये सहायक निदेशक उद्यान ने प्रार्थी को मुआवजा दिये जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई। अतः सहायक निदेशक उद्यान द्वारा प्रश्नगत पौधों के संबंध में की गई अंतिम कार्यवाही से पूर्व में तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट वर्तमान दशा में आधारहीन व सारहीन हो चुकी है, जिसके संबंध में कहे गये कथनों का प्रार्थी को कोई लाभ प्राप्त नही होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य स्तरीय गठित कमेटी, जिसमें सहायक निदेशक उद्यान भी सम्मिलित थी, ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि कुछ कृषकों ने किन्नू के पौधों के मध्य खजूर के [illegible] किये गये हैं, जो तकनीकी एवं व्यवसायिक रूप से भी उप[illegible] कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने उपरोक्त तथ्यो पर विचार विमर्श व प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात ही परिसम्पत्तियों का अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को पारित किया है, जो प्रार्थी की सीमा तक सही व अन्तिम है।

उनका आगे यह भी कथन है कि वास्तविक तथ्यों के संबंध में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कुछ भी दर्ज नहीं किया है। प्रार्थी ने बदनियती से जानबूझकर श्रीमानजी को गुमराह कर बेजा फायदा उठाने की गरज से प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यो को प्रार्थना पत्र मे दर्ज नहीं कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि concealment of facts की श्रेणी में आता है। प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए श्रीमान जी के समक्ष यह हस्तगत प्रकरण गलत व मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किया है, जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो नेशनल हाईवे द्वारा राजस्थान राज्य भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए प्रार्थी रणजीत सिंह एवं उसके परिवार की चक 46 एफ मोड़ा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 6 से 10, मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 7/2, 8, 9 , 10 एवं मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 3, 8, 13 सालम नहरी रकबा स्थित है। उक्त मुरब्बा नं. 35 के किला नम्बर 6 , 7 एवं 8 पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवार्ड पारित कर, भूमि अवाप्त की गई है जिसमें **प्रार्थी रणजीत सिंह की भूमि ग्राम 46 एफ मोड़ा के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 6, 7, 8 अवाप्त की गई, भी सम्मिलित है जिसका सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर ली गई है, किन्तु उक्त चक 46 एफ मोड़ा के उक्त मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 6, 7, 8 पर प्रार्थी के अनुसार बाग था किन्तु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने उक्त भूमि में कोई बाग रोपित न होना मानते हुए दिनांक 24.06.2022 को इस आशय का अवार्ड पारित किया है की प्रार्थी की कोई मुआवजा राशि देय नहीं बनती है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी रणजीत सिंह ने यह प्रकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(5) के तहत अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत किया है।

पत्रावली के अवलोकन के यह भी पाया गया कि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने अपनी प्रथम मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार कृषक रणजीत सिंह के यहां गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करने पर पाया कि मुरब्बा नं. 35 के बीघा नं. 6, 7 व 8 में कुछ भूमि भारतमाला सडक के अन्तर्गत आना प्रस्तावित है। उक्त भूमि में 270 किन्नू के पौधे रोपित है जिसकी आयु 4 वर्ष है तथा 25 पौधे खजूर के रोपित है, जिनकी आयु 04 वर्ष है। उक्त पौधों की आयु के आधार पर मूल्याकन रिपोर्ट तैयार कर कुल 4,35,24,660/– रूपये की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट अपने पत्रांक 5866 दिनांक 21.03.22 से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को निम्नानुसार प्रस्तुत की है:

> श्रीमान् निदेशक उद्यान, राजथान जयपुर के पत्रांक प.11( ) नि.उ./नर्सरी/मुआवजा/2006–07/3545 दिनांक 13.07.2006 में दिये गये निर्देशानुसार भारतमाला/... /भू.अ. /457–458–459–460 दिनांक 09.... में दिये गये निर्देशानुसार

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान राज्य में भारतमाला परियोजना पैकेज—6(पार्ट—1) के श्रीगंगानगर (एनएच—62) साधुवाली—जैड माईनर—श्रीकरणपुर—गजसिंहपुर—रायसिंहनगर के 2/4 लेन मय पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत **अवाप्तिधीन भूमि में आ रही परिसम्पत्तियों में उद्यान पेड़ों का मूल्यांकन किये जाने हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा श्रीकरणपुर क्षेत्र के 2/4 लेन मय पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत अवाप्तिधीन भूमि में आ रही परिसम्पत्तियों में उद्यान पेड़ों का मूल्यांकन किया गया था।** इस संदर्भ में निवेदन है कि कमेटी द्वारा खजूर व किन्नू के सम्बन्ध में की गई मूल्यांकन रिपोर्ट श्रीमान् आयुक्त उद्यानिकी के प्रासंगिक पत्रांक में दिये गये दिशा—निर्देशानुसार ही बनाये गये थे, जो कि श्रीमान् आयुक्त उद्यानिकी के नवीनतम (19.11.2020) दिशा—निर्देश है। जबकि श्रीमान् उप महाप्रन्धक (NHAI), हनुमानगढ़ के प्रासंगिक पत्रांक में दिनांक 02.09.2019 की बैंठक कार्यवाही का विवरण दिया गया है।

परन्तु श्रीकरणपुर क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा बड़ी उम्र के पौधे जमीन लगाकर मुआवजा प्राप्त करने की मौखिक सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। अतः **इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद संदेहास्पद होने के कारण उक्त बागों का निरीक्षण श्रीमान् तहसीलदार श्रीकरणपुर, संबंधित भू—अभिलेख निरीक्षक, संबंधित पटवारी व गिरदावर तथा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता की कमेटी गठित कर पुनः निरीक्षण करने की अभिशंषा की जाती है तथा इनमें से जो बाग वास्तविक है उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट यथावत तथा अन्य बाग जो संदेहास्पद है, उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट [illegible] की अनुशंषा की जाती है।**

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rai
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 21.03.2022 के आधार पर **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर** द्वारा एक गठित कमेटी की गई। जिस पर दिनांक 10.06.2022 को फर्द मौका तैयार की गई, जिस पर पटवार मण्डल 46 एफ, पटवार मण्डल 10ओ, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर के हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर तहसीलदार, श्रीकरणपुर ने सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमानजी के प्रासंगिक आदेश की पालना में गठित कमेटी के सदस्यों के साथ चक 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मु.नं. 35 के कि.नं. 6,7, 8 में पहुंचे। मुताबिक चालू जमाबन्दी चक 46 एफ मु.नं. 35/3, 214, 36/1.885, 37/1.857, 39/2.442, 41/2.467, 52/0.354, 0.125(खाला) हैक्ट. में मु.नं. 35 का कि.नं. 06/0.228, 07/0.253, 8/0.253 हेक्ट भूमि जितेन्द्र सिंह पुत्र मलकीत सिंह 3015/12344, रघुवीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह 1791/6172, रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह 5747/12344 हिस्सक के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त मु.न. 35 के कि.न. 06 से 15 का आंशिक भाग भारतमाला सड़क के अन्तर्गत अवाप्त किया गया है। उक्त में से मु.नं 35 के कि.नं. 06 से 08 पर किन्नू व खजूर का बाग लगा हुआ है जो कि लगभग 03 वर्ष पुराना प्रतीत होता है। मु.नं. 35 के कि.नं. 06 में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2078 में बाग (किन्नू), 2077 में बाग (किन्नू), **2074 से 2076 में रिक्त व अन्य फसल अंकित है। उक्त समस्त बाग के [illegible] से भारतमाला के अन्तर्गत सड़क प्रस्तावित है वहीं [illegible] है। उक्त बाग मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा [illegible] भारतमाला भूमि अवाप्ति**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1454 अ. दिनांक 02.04.2018 व अखबार में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 के पश्चात लगा हुआ है। नकल जमाबन्दी व गिरदावरी संलग्न है।

अतः नकल जमाबन्दी व नकल खसरा गिरदावरी व अन्य कागजात के रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : उक्तानुसार व मूल फर्द मौका।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

उक्त रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने दिनांक 24.06.2022 को अवार्ड पारित किया गया है, जिसके पृष्ठ संख्या 5 के पैरा एच में निम्नानुसार अंकित किया है:

H. रणजीत सिंह पुत्र पाला सिंह चक 46 एफ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नं. 6, 7, 8 में 270 पौधे किन्नू के तथा 27 पौधें खजूर के रोपित होना सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में बताया है, इस संबंध में तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार समस्त बाग के पेड़ जहां से भारतमाला की सड़क प्रस्तावित है, वहीं पर लगाये गये है तथा भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 अ. दिनांक 02.04.2018 व अखबार में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 के पश्चात एवं सीमा[illegible] मुआवजा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से [illegible] रोपण किया गया है। अतः मुआवजा राशि दिया जाना उचित नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवार्ड दिनांक 24.06.2022 से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जवाब के बिन्दु संख्या 3 व 4 में निम्नानुसार अंकित किया है:

> 3. बिन्दु संख्या 3 में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है, सही यह है कि सहायक निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 5866 दिनांक 21.03.2022 द्वारा भिजवायी गयी रिपोर्ट में अंकित किया गया कि श्रीकरणपुर क्षेत्र के **कुछ कृषकों द्वारा बड़ी उम्र के पौधे जमीन में लगाकर मुआवजा प्राप्त करने की मौखिक सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। अतः इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद संदेहास्पद होने के कारण उक्त बागों का निरीक्षण कमेटी गठित कर पुनः निरीक्षण करने की अनुशंषा की जाती है।** सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर से प्राप्त मूलयांकन रिपोर्ट की जांच हेतु तहसीलदार, श्रीकरणपुर व अन्य सदस्यों की कमेटी पूर्व में गठित की जाकर कमेटी की रिपोर्ट अपेक्षित थी, जो कि तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 4269 दिनांक 17.06.2022 द्वारा प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि समस्त बाग के पौधे, जहां से भारतमाला के अन्तर्गत सडक प्रस्तावित है, सिर्फ वहीं ही लगाये गये थे। **उक्त बाग मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 व समाचार पत्र में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 के पश्चात ही लगाये गये हैं।** तहसीलदार **की उक्त रिपोर्ट के सही होने की तस्दीक धारा 3ए की स्थिति के अनुसार**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

गुगल अर्थ इमेज, जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई हनुमानगढ़ के पास उपलब्ध है, से भी की जा सकती है।

4. बिन्दु संख्या 4 में अंकित तथ्य इस सीमा तक स्वीकार है उद्यान विभाग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एक कमेटी का गठन कर पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जिसकी रिपोर्ट में बाग अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 व अख़बार में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 के पश्चात लगाए जाने के आधार पर मुआवजा राशि अस्वीकार की गयी। अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को राजस्व रिकॉर्ड में कोई बाग नहीं था। धारा 3ए की अधिसूचना प्रकाशन के बाद उसी जगह पर बड़े पौधे रोपित किये गए जहां से भारत माला सड़क गुजर रही है, पूर्व में कोई बगीचा नहीं था। केवल मात्र मुआवजा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से बाद में बड़ी उम्र के पौधे नर्सरी से लाकर रोपे गए है।

विचाराधीन प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अप्रार्थी रणजीत सिंह को बाग के रूप में कोई मुआवजा राशि तय नहीं की है, तो ऐसी अवस्था में क्या धारा 3जी(5) के तहत बतौर आर्बीट्रेटर को निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को कोई क्षेत्राधिकार है अथवा नही? सर्वप्रथम इस बिन्दु का निस्तारण करना आवश्यक है। यदि निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को धारा 3जी(5) के प्रावधानों के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा तो ही आगे गुण दोष पर विचार किया जाना उचित होगा अन्यथा [illegible] 3जी(5) निम्न प्रकार से है:

3G Determination of amount payable [illegible] compensation :-
(5) If the **amount determined [illegible] competent authority** under subsection (1) or sub section (2) is no[illegible]cceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पक्षकारों को सुना गया। **प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता** ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) में उठाई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की सम्पूर्ण धारा 3जी को देखना आवश्ययक है। प्रार्थी ने धारा 3जी को निम्न प्रकार से व्याख्या की है :

3G. Determination of amount payable as compensation –

(1) Where any land is acquired under this Act, there shall be determined by an order of the competent authority

धारा 3जी(7) का भी पठन भी आवश्यक है जो उनके अनुसार निम्नानुसार है:

3G(7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section 1 or sub-section 5, as the case may be, shall take into consideration –

(a) the market value of the land on the date of publication of the under notification 3(2)

(b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking position of the land by reason of the severing of such land from other land;

(c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking position of the land by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner or his earning;

(d) if in consequences of the acquisition of the land the person intersted is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अप्रार्थी का यह कथन है कि [illegible] 3जी(5) के तहत यह प्रकरण प्रस्तुत किया है किन्तु उसने सम्पूर्ण धारा 3जी पर उसने विचार करना आवश्यक बताया है। धारा 3जी(5) निम्न प्रकार से है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3G Determination of amount payable as compensation :-
(5) If the amount determined by the competent authority under subsection (1) or sub section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government

उक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) के अनुसार दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष यदि समक्ष प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा निर्धारित की गई राशि से सहमत नही है, तो वह आर्बिट्रेटर के समक्ष आवेदन कर सकता है, **परन्तु** विचाराधीन प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि के लिए उद्यान विभाग की रिपोर्ट एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर की रिपोर्ट के आधार पर अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 पर कोई बाग रोपित न होने के कारण कोई मुआवजा राशि तय नहीं की है। इसलिए उक्त धारा 3जी(5) के तहत इस न्यायालय को बतौर आर्बीट्रेटर तभी क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, जब कोई मुआवजा राशि तय की गई हो, **जबकि प्रार्थी के इस मामले में मुआवजा के रूप में कोई राशि तय नहीं की गई है। प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में धारा 3जी का उल्लेख किया है किन्तु उनके द्वारा जानबूझकर धारा 3जी(2), (3),(4),(5) और (6) का उल्लेख नहीं किया है और धारा 3जी(1) के साथ धारा 3जी(7) का उल्लेख किया है। इन धाराओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब कोई मुआवजा के रूप में राशि तय की गई हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी अभिभाषक द्वारा जानबूझकर धारा 3जी(5) और अन्य उक्त वर्णित धाराओं का लोप किया गया है, जिससे न्यायालय भ्रमित हो सके। यहाँ यह भी [illegible] करना उचित रहेगा कि प्रार्थी ने अपने मूल प्रार्थना में भी धारा 3जी(5) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपनी टिप्पणी में राशि(Amount) की जगह अवार्ड शब्द की व्याख्या कर प्रार्थना पत्र पेश किया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Raih
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपने आदेश दिनांक 24.06.2022 से कोई मुआवजा राशि तय नहीं की गई है। अगर सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा कोई मुआवजा राशि तय की गई हो तो उसे कम/ज्यादा करने के सम्बन्ध में भी पक्षकार निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष धारा 3जी(5) के तहत आ सकते है अन्यथा नहीं? **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग** अधिनियम की धारा 3जी(5) निम्नानुसार पुनः अवलोकनीय है:

> **3G Determination of amount payable as compensation :-**
> (5) **If the <u>amount determined by the competent authority</u> under subsection (1) or sub section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government.**

चूंकि सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.06.2022 कोई मुआवजा राशि तय नहीं की गई है। इसलिए धारा 3जी(5) के तहत प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार कोई नहीं है **और ऐसी अवस्था में निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को भी आर्बीट्रेटर के रूप में उक्त प्रकरण को धारा 3जी(5) के अन्तर्गत सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः ऐसी दशा में गुण दोष पर विचार नहीं किया जा सकता है।** इसलिए प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए उसका प्रकरण और उसके द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज के सहित वापिस लौटाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर **सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर** द्वारा कोई मुआवजा राशि निर्धारित न करने के कारण निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को धारा 3जी(5) के तहत कोई क्षेत्राधिकार न होने के कारण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए वापिस लौटाया जाता हैं। इस आशय का नोट प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र की पत्रावली में अंकित किया जावे। आदेश की प्रति सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:44:49 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर